न्यायालय– सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–131 / 2019
सीआईएस 92 / 2019

16-10-2023

प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी के द्वारा दिनांक–12.05.2023 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है को संचालित करते हुए वे अभिकथन करते हैं कि वादी द्वारा यह वाद वादपत्र के अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में बिक्री हेतु लिखित एकरारनामा दिनांक–15.03.2018 के आधार पर संविदा के विनिर्दिशष्ट अनुपालन का डिक्री प्राप्त करने के लिए लाया गया है। इस वाद के संस्थन के पश्चात्, वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से अवगत होने के बाद भी, प्रतिवादी ने बेईमानी करते हुए वादपत्र के अनुसूची–1 की सम्पत्ति को अवैध रूप से पंजिकृत बिक्री पत्र दिनांक–27.03.2023, डीड सं0–4895 के माध्यम से पुष्कर आनंद को बेच दिया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि कुमार अमरदीप नारायण, पिता– स्व0 श्याम नारायण प्रसाद को पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः अनुरोध है कि अमरदीप नारायण को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के श्रेणी में पक्षकार बनाने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

वादी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि अनुसूची–1 की सम्पत्ति को श्रीमती राबो देवी एवं श्री पुष्कर आनंद के द्वारा श्री कुमार अमर दीप नारायण के पक्ष में बिक्री किया गया है, जबकि वादी के आवेदन में 'अनुसूची–1 की सम्पत्ति पुष्कर आनंद के पक्ष में बिक्री किया गया' अंकित है, साथ–ही आवेदन के माध्यम से कुमार अमरदीप नारायण को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वादी के द्वारा दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार उपरोक्त खरीददार को प्रतिवादी के श्रेणी में जोड़कर पृष्ठांकित करें। वाद दिनांक– वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्
पटना सिटी